उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-201/2020/2388/41-2020-72(बजट)/2019

लखनऊ दिनांक 07 सितम्बर, 2020

संख्या- 189/2020/2131/41-2020-72(बजट)/2019 दिनांक 25 अगस्त, 2020

का शुद्धि पत्र

जनपद बलिया के विकास खण्ड बेलहरी के ग्राम सभा समरथपाह में रामजानकी मंदिर प्रांगण में पेवर्स ब्लाक एवं सोलर स्ट्रीट तथा पर्यटन विकास के कार्य हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश संख्या- 189/2020/2131/41-2020-72(बजट)/2019 दिनांक 25 अगस्त, 2020 के संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक- 2102/6-1-1(1032)/2019 दिनांक 28-8-2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त शासनादेश में पृष्ठांकन के **क्रम सं0-4** में त्रुटिवश **कोषाधिकारी, गोरखपुर** अंकित किया गया है, जबकि इसके स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर** अंकित होना चाहिए था। इसी प्रकार शुद्धि पत्र निर्गत करते हुये क्रमांक-6 पर प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 , लखनऊ के स्थान पर निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ तथा क्रमांक-7 पर अधिशासी अभियन्ता , उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ , लि0 प्रखण्ड-1, लखनऊ के स्थान पर सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बलिया अंकित करने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः एतद्द्वारा **शासनादेश संख्या- 189/2020/2131/41-2020-72(बजट)/2019 दिनांक 25 अगस्त, 2020** के पृष्ठांकन के **क्रम सं0-4** पर अंकित कोषाधिकारी गोरखपुर के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर , **क्रमांक-6** पर प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 , लखनऊ के स्थान पर निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ तथा **क्रमांक-7** पर अधिशासी अभियन्ता , उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ , लि0 प्रखण्ड-1, लखनऊ के स्थान पर सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बलिया अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक **25 अगस्त, 2020** उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

3- शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-201/2020/2388/41-2020-72(बजट)/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव,पर्यटन विभाग,उ0प्र0शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
7- सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बलिया।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी गोरखपुर।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in